प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनु. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**.......
प्र0इ0रि0 सं. 266/2022..............................दिनांक 30/6/2022

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारणअधि. **1988 (संशोधन 2018)**.......... धारायें...........7
(II) * अधिनियम .... धारायें ....
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....599.................................. समय ....6:50 pm
(ब) * अपराध घटने का वार.....**बुधवार**....दिनांकः–29.06.2022 समय 05:35 पी.**एम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **31.05.2022**

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक–**लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री **विजय सिंह** ....
(ब) पिता / पति का नाम **श्री नवल सिंह**
(स) जन्म तिथी / वर्ष वर्ष....................33 साल........................
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....

(ल)पता – निवासी ग्राम पंचायत जावली, लक्ष्मणगढ, अलवर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री गौरव मेठी पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति महाजन उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 26ए, प्रेम नगर, मूंगसका, अलवर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायती जावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 8,000/—रूपये**

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :—

दिनांक 31.05.2022 को परिवादी श्री विजय सिंह पुत्र श्री नवल सिंह राजपूत उम्र 33 साल निवासी ग्राम पंचायत जावली, लक्ष्मणगढ, अलवर ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचायत जावली पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर में मैंने ग्राम पंचायत निर्माण कार्य सम्बंधित ठेका लिया था जिस पर ग्राम पंचायत जावली में कार्यों बाबत मेरे 3.50 लाख रूपये लगाये है। ग्राम विकास अधिकारी श्री गौरव मेठी मेरे कार्यों को उपर के अधिकारियों को देने के बिल पास करने के नाम पर 6.5 प्रतिशत राशि के हिसाब से 22,000/— रूपये की मांग कर रहा है तथा खुदका 20 प्रतिशत के हिसाब लेने की बात कर रहा है। मै। इस भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता ओर रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं कार्यवाही करवाने की कृपा करें। मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है ना ही कोई पुराना लेन—देन बाकी है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर मजीद दरियाफ्त की गई। परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में अवगत कराय गया। तत्पश्चात सत्यापन हेतु कानि0 श्री पन्नालाल नं0 09 को परिवादी की रिपोर्ट के सम्बंध में बताकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड सुपुर्द कर परिवादी से सम्पर्क करने की आवश्यक हिदायत कर परिवादी के पास भेजा गया तथा दिनांक 01.06.2022 को मामले में गोपनीय सत्यापन करवाया गया।

सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध मं बताने पर संदिग्ध श्री गौरव मेठी, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी से ग्राम पंचायत से उसकी फर्म के बोरिंग का बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। परिवादी को मामले में गोपनीयता रखकर आईन्दा संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी द्वारा रिश्वत हेतु सम्पर्क करने पर सूचित करने की आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात दिनांक 28.06.2022 को परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष अवगत कराया कि अभी संदिग्ध श्री गौरव मेठी मेरी दूकान पर आया तथा मेरे से मेरा बिल पास करवाने की एवज में 8,000/— रूपये की मांग की है मैंने उसको बताया कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है मैं कल आपको दे दूंगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री विजय सिंह को दिनांक 29.06.2022 को प्रातः आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लाने की हिदायत दी गई।

दिनांक 29.06.2022 को परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया, परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रदीप कुमार सुण्डा एवं श्री राहुल कुमार मीणा के कार्यालय में उपस्थित आने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के बारे में अवगत कराकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों ही स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी—अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतत्र गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री विजय सिंह से परिचय करवाया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दिखाया तथा पढाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात कार्यालय में उपस्थित कानि0 श्री विनोद कुमार कानि0 नं0 242 का परिवादी एवं गवाहान से परिचय करवाया गया, तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के

बारे में कहा गया तो परिवादी ने अपने 500–500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000/– रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किये, जिस पर कानि0 श्री विनोद कुमार नं0 242 से उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के समस्त नोटों पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस करवाई गई। उक्त कार्यावाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

इसके पश्चात दिनांक 29.06.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त मौतबिरान, परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी के साथ रवाना होकर ट्रेप कार्यवाही हेतु लक्ष्मणगढ पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री विजय सिंह ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी कि हमेशा अपने घर अलवर 04:00 पीएम से 05:00 पीएम पर मोटरसाईकिल पर जाता है और इस समय के बीच में किसी भी वक्त आज रिश्वत प्राप्त करने के लिये अब किसी भी समय मेरी दूकान पर आकर रिश्वत प्राप्त करेगा। जिस पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी के इंतजार में मूकीम हुये। कुछ समय पश्चात आरोपी श्री गौरव मेठी परिवादी से उसकी दूकान में मिला, रिश्वत राशि प्राप्त करने के प्श्चात परिवादी के पूर्व में बताया इशारा करने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ परिवादी की दूकान में पहुंचकर आरोपी श्री विजय सिंह को अपना परिचय देकर आने का प्रयोजन बताकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री गौरव मेठी पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति महाजन उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 26ए, प्रेम नगर, मूंगसका, अलवर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायती जावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर होना बताया। तत्पश्चात नियमानुसार कार्यवाही कर आरोपी विजय सिंह के दोनों हाथों की अंगुलिया तथा अंगुठे का प्रकियानुसार धोवन लिया जाकर धोवन सेम्पलों को शिल्डमोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि बरामद कर सिल चिट कर कब्जा एसीबी लिया गया। मौके पर लोगों की आमद रफत होकर भीड एकत्रित होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान एवं आरोपी तथा साजो सामान के सुरिक्षत एकान्त स्थान हेतु रवाना होकर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ पहुंचा, जहां पर अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि मूर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री गौरव मेठी पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति महाजन उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 26ए, प्रेम नगर, मूंगसका, अलवर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायती जावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री विजय सिंह से उसकी फर्म द्वारा किये गये बोरिंग के बिल ग्राम पंचायत से पास करवाने की एवज में 8,000/– रूपये की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 29.06.2022 को बतौर रिश्वत प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उसके जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात गिरफतारशुदा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रात्रि विश्राम हेतु पुलिस थाना मालाखेडा जिला अलवर में बंद हवालात करवाया जाकर सुपुर्द संतरी पहरा किया गया। दिनांक 30.06.2022 को गिरफतारशुदा आरोपी से पूछताछ कर पूछताछ नोट मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री गौरव मेठी पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति महाजन उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 26ए, प्रेम नगर, मूंगसका, अलवर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायती जावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री

विजय सिंह से उसकी फर्म के सिंगल फेस बोरिंग के बिल ग्राम पंचायत से पास करवाने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 29.06.2022 को दौराने कार्यवाही परिवादी से 8,000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री गौरव सेठी पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति महाजन उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 26ए, प्रेम नगर, मूंगसका, अलवर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायती जावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
उप अधीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान ईकाइ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गौरव मेठी पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति महाजन उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 26ए, प्रेम नगर, मूंगसका, अलवर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायती जावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 266/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2334-38 दिनांक 30.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अलवर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

30.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।